फर्द अहकाम

[illegible] **बनाम** [illegible]

...अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

...संख्या ....15 .../202 2 [illegible]

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06/25	पत्रावली पेश, वादी [illegible] प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वह पुन: [illegible] डिक्री [illegible] हेतु [illegible] [illegible] पत्रावली के अवलोकन [illegible] वादी [illegible] तहसीलदार प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। अन्तिम डिक्री [illegible] किया जाकर दाखिल [illegible] किया [illegible] जारी होकर पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 17:48:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री कपिल कुमार (RAS)**

वाद पत्र संख्या :– **159/2022** **दर्ज दिनांक– 27.09.2022**

शीर्षक

कमलेश पत्नि श्री लालचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी टसकोला तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान। **वादी**

बनाम

1. गुरुदयाल पुत्र नानूराम
2. इमरती देवी पुत्री मांगूराम
3. कितबी पुत्री नानूराम
4. जयनारायण पुत्र नानूराम
5. झाबर मल पुत्र मांगूराम
6. पोकर पुत्र बीरबल
7. बनवारी पुत्र नानूराम
8. भरपाई पुत्री मांगूराम
9. माडूराम पुत्र नानूराम
10. मनभरी पत्नि स्व. रामनिवास
11. लालचन्द पुत्र रामनिवास
12. ममता पुत्री रामनिवास
13. मुकेश पुत्र रामनिवास
14. रामेश्वर पुत्र नानूराम
15. सरवण पुत्री मांगूराम
16. साधुराम पुत्र मांगूराम

समस्त जाति गुर्जर निवासीयान टोरडा गुजरान तहसील पावटा जिला जयपुर

17. धूड़ी देवी पत्नि चतरुराम जाति गुर्जर निवासी कालीबाय तन दूदावास तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान।
18. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला जयपुर
19. श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला जयपुर राजस्थान। **प्रतिवादीगण**

वादी वकील श्री अशोक सिंह गुर्जर

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक: 18.06.2025

1. वादी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पेश वाद पत्र निम्नानुसार है कि आराजी खसरा नम्बर 17/0.17, 18/0.11, 21/0.23 है० वाके मौजा टसकोला तहसील पावटा, जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी की भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 सहखातेदार काश्तकार काबिज है। वादी आराजी खसरा आराजी खसरा नम्बर 17/0.17, 18/0.11, 21/0.23 है० वाके मौजा टसकोला तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान की भूमि में अपने हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 लगतायत 17 खातेदार काबिज काश्त है तथा अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है, आज भी मौके पर काबिज काश्त है। खातेदार रामनिवास पुत्र नानूराम फौत हो चुका है, जिनके विधिक वारिसों को प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 पक्षकार बनाया गया है। खातेदार मूली देवी फौत हो चुकी है जिनके वारीसान का सजरा पहले से ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 का वादी के हिस्से की आराजी से कभी कोई लेना–देना व ताल्लुक वास्ता नही रहा है। वादी अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज–काश्त करता चला आ रहा है। आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 17:48:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2. उक्त आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड शामिल में होने की वजह से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 आये दिन डोल–डंडीर, कब्जा–काश्त, लगान आदि को लेकर वादी के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त में मजाहमत पैदा करते है, पेड़ वगैरह काटने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करनें, आराजी में निर्माण कार्य करने, बिना विधिवत तकास्मा कराये आराजी को दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी देते हैं तथा वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर उतारु है। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 का वादी के हिस्से की आराजी से कोई लेना–देना, तालुक अथवा वास्ता नही है, ना ही कभी रहा है तथा बिना विधिवत बँटवारा कराये प्रत्येक खातेदार का भूमि की प्रत्येक इंच पर समान अधिकार होता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 नें आपसी सहमति से वाहमीतौर पर बँटवारा कर रखा है, जिसमें वादी के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 18/0.11 है० की भूमि में से 8.50 एयर भूमि व खसरा नम्बर 17/0.17 है० की भूमि में से 3.37 एयर भूमि पर कब्जाशुदा मालिक काबिज स्वामी है, जिस पर वादी नें पुख्ता चार दीवारी का निर्माण कर रखा है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 संख्या 17 बिना विधिवत तकास्मा कराये उक्त आराजीयात को दीगर लोगों को बेचान करने, पुख्ता चार दीवारी को तोड़ने, पेड़ वगैरह काटने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करने आराजी मे निर्माण कार्य करने, वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो वादी को अजहद नुकसान होगा जो किसी भी सूरत में जरें नकद से कम्पनसैट नही किया जा सकेगा। वादी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। वादी को अनावश्यक मुकदमें बाजी में फंसना पड़ेगा जिससे वाद बहुलता को बढ़ावा मिलेगा।

3. वादी नें प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 को कई मर्तबा कहा कि राज में चलकर आराजी का विधिवत तकास्मा करवा लो तथा अपना–अपना खाता जुदागाना करवा लो तथा वादी के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग में मजाहमत पैदा ना करो, आराजी में पेड़ वगैरह ना काटो, आराजी में खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द मत करों, आराजी में निर्माण कार्य मत करो, आराजी को दीगर लोगों को बेचान मत करों। लेकिल प्रतिवादी संख्यां 01 लगायत 17 नही मान रहे है तथा गत सप्ताह से आराजी का विधिवत तकास्मा कराये बिना दीगर लोगों को बेचान करने, आराजी में निर्माण कार्य करने की धमकी दे रहे है तथा वादी को उसके हिस्से की आराजी में से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। समझाने से नही मानते हैं, साफ इन्कारी है। इसलिए माननीय न्यायालय में दावा पेश करना लाजिम आया। यही बिनाय दावा है। बिनाय दावा बिनाव मुखास्मत रोज इन्कारी प्रतिवादीगण से पैदा होती है अतः वाद अन्दर मियाद नियत न्यायशुल्क पर वाद पेश है। रिहायश फरीकेन एवं वाका जायदाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनने व तैय करने का अधिकार है।

4 वादी दावेदार है कि एक किता डिक्री तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल आराजी खसरा नम्बर नम्बर 17/0.17, 18/0.11, 21/0.23 है० वाके मौजा टसकोला तहसील पावटा, जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 का वाहमीतौर पर किये गये बँटवारे के बाद से कब्जे के आधार पर विधिवत तकास्मा किया जाकर आराजी खसरा नम्बरान की भूमि में बटा नम्बर डाला जाकर वादी को अपने हिस्से अनुसार तन्हा रुप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अलग से पासबुक जारी की जावे।

5. प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस अ[illegible] के [illegible] पाबन्द किया जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल आराजी खस[illegible] 01 लगायत 17 के वादी के हिस्से की आराजी के कब[illegible]भोग में किसी प्रकार की मजाहमत या दखलअन्दाजी पैदा ना करें। वादी को [illegible]के हिस्से की आराजी का शांतिपूर्वक उपयोब–उपभोग, कब्जा–काश्त करने देवें। सदा सदा के लिए ममनू व बाज रहे। या जो दादरसी न्यायहित में फरमाई जावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 से दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 17:48:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

6. वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 18 बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहे इस कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 08.07.2024 को वकील वादी की एकपक्षीय बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 13.05.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो नियत दिनांक को शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतू निवदेन किया। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया, तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

7 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 17/0.17, 18/0.11, 21/0.23 है० वाके मौजा टसकोला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**कमलेश पत्नि लालचन्द हि. 178/825 राहिन RMGB शाखा पावटा जाति कुम्हार** **मूली देवी पत्नि स्व. मांगूराम, ईमरती देवी भरपाई देवी सरवण साधूराम झाबरमल पि. मांगूराम हि. 582/4950** **कितबी गुरूदयाल जयनारायण बनवारी मांडूराम रामेश्वर पि. नानूराम हि. 6/42** **मनोहरी देवी पत्नि स्व. रामनिवास हि. 1/168** **मुकेशी ममता लालचन्द पि. स्व. रामनिवास हि. 3/168** **पोखर पुत्र बिरबल हि. 1/12 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार**	**1205/18 रकबा 0.0400 हैक्ट0 भूमि।**
2	**कमलेश पत्नि लालचन्द हि. 1/3 राहिन RMGB शाखा पावटा** **कितबी गुरूदयाल जयनारायण बनवारी मांडूराम रामेश्वर पि. नानूराम हि. 6/42** **मनोहरी देवी पत्नि स्व. रामनिवास हि. 1/168** **मुकेशी ममता लालचन्द पि. स्व. रामनिवास हि. 3/168** **पोखर पुत्र बिरबल हि. 1/12 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार**	**1203/17 रकबा 0.0650 हैक्ट0 भूमि।**
3	**कमलेश पत्नि लालचन्द हि. 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार राहिन RMGB शाखा पावटा** **ईमरती देवी भरपाई सरवण साधूराम झाबरमल पि. मांगू हि. 5/36, मूली देवी पत्नि स्व. मांगू हि. 1/36** **कितबी गुरूदयाल जयनारायण बनवारी मांडूराम रामेश्वर पि. नानूराम हि. 6/42** **मुकेशी ममता पुत्रियान रामनिवास, मनोहरी देवी पत्नि स्व. रामनिवास, लालचन्द पि. रामनिवास हि. 1/42** **पोखर पुत्र बिरबल हि. 262/575 जाति गुर्जर सा.देह** **धुड़ी देवी पत्नि चतरूराम हि. 51/1150 जाति गुर्जर सा. ढाणी कालीबाय तन दूदावास खातेदार**	**1239/21 रकबा 0.06 हैक्ट0 भूमि।**
4	**धूड़ी देवी पत्नि चतरूराम हि. 76/102 जाति गुर्जर सा. ढाणी कालीबाय तन दूदावास** **पोखर पुत्र बीरबल हि. 26/102 जाति गुर्जर [illegible] खातेदार**	**1238/21 रकबा 0.0102 हैक्ट0 भूमि।**
5	**पोखर पुत्र बीरबल हि. 12[illegible]/1598 [illegible]** **मूली देवी पत्नि स्व. मांगूराम, ईमरती देवी [illegible] सरवण पुत्रियान मांगूराम, झाबरमल साधूराम पि. मांगूराम हि. 3[illegible]/1598 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार**	**1240/21 रकबा 0.1598 हैक्ट0 भूमि।**
6	**कमलेश पत्नि लालचन्द जाति कुम्हार(प्रजापति) सा.देह खातेदार**	1206/18/0.07, 1204/17/1/0.01 हैक्ट0 भूमि।

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 17:48:27 IST
Reason: SelfAttested

7	कितबी पुत्री नानूराम, गुरूदयाल जयनारायण बनवारी मांडूराम रामेश्वर पि. नानूराम हि. 492/950 मुकेशी पुत्री रामनिवास, मनोहरी देवी पत्नि स्व. रामनिवास, ममता पुत्री रामनिवास, लालचन्द पि. रामनिवास हि. 82/950 पोखर पुत्र बीरबल हि. 376/950 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार	1204/17/2 रकबा 0.0950 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 17:48:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रपत्र – 6

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या :– 159/2022 दर्ज दिनांक– 27.09.2022

शीर्षक

कमलेश पत्नि श्री लालचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी टसकोला तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान।

वादी

बनाम

1. गुरुदयाल पुत्र नानूराम
2. इमरती देवी पुत्री मांगूराम
3. कितबी पुत्री नानूराम
4. जयनारायण पुत्र नानूराम
5. झाबर मल पुत्र मांगूराम
6. पोकर पुत्र बीरबल
7. बनवारी पुत्र नानूराम
8. भरपाई पुत्री मांगूराम
9. माडूराम पुत्र नानूराम
10. मनभरी पत्नि स्व. रामनिवास
11. लालचन्द पुत्र रामनिवास
12. ममता पुत्री रामनिवास
13. मुकेश पुत्र रामनिवास
14. रामेश्वर पुत्र नानूराम
15. सरवण पुत्री मांगूराम
16. साधुराम पुत्र मांगूराम

समस्त जाति गुर्जर निवासीयान टोरडा गुजरान तहसील पावटा जिला जयपुर

17. धूड़ी देवी पत्नि चतरुराम जाति गुर्जर निवासी कालीबाय तन दूदावास तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान।
18. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला जयपुर
19. श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला जयपुर राजस्थान। **प्रतिवादीगण**

वादी वकील श्री अशोक सिंह गुर्जर
प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 17/0.17, 18/0.11, 21/0.23 है० वाके मौजा टसकोला तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**कमलेश पत्नि लालचन्द हि. 178/825 राहिन RMGB शाखा पावटा जाति कुम्हार** **मूली देवी पत्नि स्व. मांगूराम, इमरती [illegible] देवी सरवण साधूराम झाबरमल पि. मांगूराम हि. 582/495 [illegible]** **कितबी गुरूदयाल जयनारायण बनवारी [illegible]** **हि. 6/42** **मनोहरी देवी पत्नि स्व. रामनिवास हि. 1/168** **मुकेशी ममता लालचन्द पि. स्व. रामनिवास हि. 3/[illegible]** **पोखर पुत्र बिरबल हि. 1/12 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार**	**1205/18 रकबा 0.0400 हैक्ट0 भूमि।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 17:48:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2	कमलेश पत्नि लालचन्द हि. 1/3 राहिन RMGB शाखा पावटा कितबी गुरूदयाल जयनारायण बनवारी मांडूराम रामेश्वर पि. नानूराम हि. 6/42 मनोहरी देवी पत्नि स्व. रामनिवास हि. 1/168 मुकेशी ममता लालचन्द पि. स्व. रामनिवास हि. 3/168 पोखर पुत्र बिरबल हि. 1/12 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	1203/17 रकबा 0.0650 हैक्ट0 भूमि।
3	कमलेश पत्नि लालचन्द हि. 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार राहिन RMGB शाखा पावटा ईमरती देवी भरपाई सरवण साधूराम झाबरमल पि. मांगू हि. 5/36, मूली देवी पत्नि स्व. मांगू हि. 1/36 कितबी गुरूदयाल जयनारायण बनवारी मांडूराम रामेश्वर पि. नानूराम हि. 6/42 मुकेशी ममता पुत्रियान रामनिवास, मनोहरी देवी पत्नि स्व. रामनिवास, लालचन्द पि. रामनिवास हि. 1/42 पोखर पुत्र बिरबल हि. 262/575 जाति गुर्जर सा.देह धुड़ी देवी पत्नि चतरूराम हि. 51/1150 जाति गुर्जर सा. ढाणी कालीबाय तन दूदावास खातेदार	1239/21 रकबा 0.06 हैक्ट0 भूमि।
4	धूड़ी देवी पत्नि चतरूराम हि. 76/102 जाति गुर्जर सा. ढाणी कालीबाय तन दूदावास पोखर पुत्र बीरबल हि. 26/102 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार	1238/21 रकबा 0.0102 हैक्ट0 भूमि।
5	पोखर पुत्र बीरबल हि. 1233/1598 जाति गुर्जर मूली देवी पत्नि स्व. मांगूराम, ईमरती देवी भरपाई सरवण पुत्रियान मांगूराम, झाबरमल साधूराम पि. मांगूराम हि. 365/1598 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार	1240/21 रकबा 0.1598 हैक्ट0 भूमि।
6	कमलेश पत्नि लालचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1206/18/0.07, 1204/17/1/0.01 हैक्ट0 भूमि।
7	कितबी पुत्री नानूराम, गुरूदयाल जयनारायण बनवारी मांडूराम रामेश्वर पि. नानूराम हि. 492/950 मुकेशी पुत्री रामनिवास, मनोहरी देवी पत्नि स्व. रामनिवास, ममता पुत्री रामनिवास, लालचन्द पि. रामनिवास हि. 82/950 पोखर पुत्र बीरबल हि. 376/950 जाति गुर्जर सा. टोरडा खातेदार	1204/17/2 रकबा 0.0950 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(कपिल कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 17:48:27 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	|	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	